जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली

(जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर)

(फोन नं. 07464–251108, ईमेल–dlsa25karauli@gmail.com)

क्रमांकः प.20 / संस्था. / 2024 / 04 दिनांकः 05-01-24

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड–II / 2022 / 2248 दिनांक 05.08.2022 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र क्रमांक पी.एस. / 26 दिनांक 02.01.024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में लिपिक ग्रेड–II के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह / दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या **एफ.15(1)एफ.डी.(नियम) / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14,600 / – रूपये मासिक नियत** (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :--

Sr. No.	Name of Candidate	Date of Birth	Merit No.	Roll No.	Gender	Original Category	Allotted Category
1	BABALI YADAV	10.10.1994	1917	172714	FEMALE	OBC-NCL	General
2	JEETENDRA VERMA	15.06.1997	2157	174632	MALE	SC	General

1. सभी नियुक्तियां कनिष्ठ न्यायिक सहायक / कनिष्ठ सहायक / लिपिक ग्रेड–द्वितीय की संयुक्त परीक्षा 2022 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेंगी।
2. सभी नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन Special Leave to Appeal (c) No(s).27348/2023 Rajasthan High Court & Anr. Vs. Rajat Yadav & Ors. के अध्यधीन रहेगी।
3. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
4. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे--मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
5. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. नियुक्ति पत्र के साथ पुलिस सत्यापन हेतु आवश्यक प्रारूप प्रेषित किए जा रहे है जिन्हे अभ्यर्थी अपने से संबंधित सूचनाएं भरकर / यथास्थान नवीन फोटो चस्पॉ कर उपस्थिति के समय दो प्रति मे कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। अभ्यर्थी को यह नियुक्ति Subject to Police Verification दी जा रही है। पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
7. उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को अपने शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर योग्यता इत्यादि समस्त मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे।

8. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।

9. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।

10. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्यदिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

12. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।

13. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इस आदेश का इन्द्राज नव–नियुक्त कार्मिक की सेवा–पुस्तिका में किया जावे।

Sd/-
अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
करौली (राज0)

क्रमांक: प.20/संस्था./2024/१८ दिनांक: 05-01-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा, करौली
02. बबली यादव पत्नी श्री महेश कुमार यादव, निवासी रोहीलडा वाली ढाणी, ग्राम श्योसिंहपुरा, पोस्ट धन्क्या, तहसील झोटवाडा, जिला जयपुर–302012(राज0) 9982143333
03. जितेंद्र वर्मा पुत्र श्री भगवती लाल वर्मा, निवासी परशुराम खिडकियां बाहर, गणेश गेट, जिला करौली–322241(राज0) 7793852682
04. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय करौली को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा संबंधित की ई–मेल आई.डी. व मोबाईल नम्बर पर प्रेषित करने हेतु।
05. आदेश/निजी/संबधित पत्रावली

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
करौली (राज0)